राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक पं. 25 (3) सा.प्र./4/2016 जयपुर दिनांक 21/7/17

आदेश

विषयः–सामान्य प्रशासन आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन/मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन/मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यों में एकरूपता लाने की दृष्टि से नीति निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अतः राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन/मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य सम्पादित कराने हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. वर्तमान में सामान्य प्रशासनिक आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित निम्नांकित 7 कार्यों के आधार पर ही स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैः–

क्र. स.	कार्य का विवरण
1	फर्श का रिप्लेशमेंट।
2	टायलेट नवीनीकरण।
3	स्टोर/किचन में परिवर्तन/परिवर्द्धन।
4	कप बोर्डस।
5	दरवाजें, खिडकियों एवं गेट्स का रिप्लेसमेंट।
6	ग्राउण्ड वाटर टैंक का निर्माण।
7	चार दिवारी ऊँची करना एवं नई बाउण्डरी वाल निर्माण।

सा0नि0वि0 द्वारा आवासों में केवल रूटिन के मरम्मत कार्य ही किये जा रहे हैं जिससे यह कठिनाई हो रही है कि वे कार्य रूटिन मरम्मत में अथवा 7 चिन्हित कार्यों में सम्मिलित नहीं है, उनकी स्वीकृति जारी नहीं हो रही है। अतः सा0नि0वि0 द्वारा आवासों में मरम्मत एवं संधारण के कार्यों को दो भागों में विभाजित किये जावें।

(i) सामान्य/रूटिन मरम्मत एवं संधारण की प्रकृति के कार्य।

(ii) वृहद् मरम्मत (मेजर रिपेयर) की प्रकृति के कार्य।

सा0नि0वि0 द्वारा उक्त दोनों प्रकार के कार्यों का चिन्हिकरण कर इन्हें पृथक–पृथक श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जावें। आवश्यकतानुसार सा0नि0वि0 के नियंत्रणाधीन बजट मदों हेतु वित्त विभाग से वृहद् मरम्मत के लिए अलग प्रावधान स्वीकृत कराया जावें। वृहद् मरम्मत के कार्य सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति उपरान्त सा0नि0वि0 द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी।

(iii) राजकीय आवास में ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाया जा सकेगा जिससे आवास की टाईप एवं डिजायन में परिवर्तन हो जाता हो जैसे कि अतिरिक्त कमरा एवं पोर्च टिनशेड/कारशेड/शेड, अतिरिक्त टॉयलेट/बाथरूम एवं अतिरिक्त स्टोर इत्यादि का निर्माण।

2. सा0नि0वि0 द्वारा जिन आवासों में 50,000/– रू. से अधिक के मरम्मत/संधारण के कार्य करवाने प्रस्तावित है, उनकी सूची तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक होगा। परन्तु अत्यावश्यक मरम्मत (Emergency Repair) एवं Break Down maintenance के कार्य, इन आदेशों के अधीन नहीं होगे।

3. इस विभाग द्वारा केवल जयपुर शहर स्थित सामान्य प्रशासन पूल के आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों के प्रस्तावों पर आवश्यक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जावेगी। राज्य में स्थित सामान्य प्रशासनिक आवासों हेतु (जयपुर शहर का छोडकर) सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध बजट का नियमानुसार 30 प्रतिशत आवंटन किया जावेगा। जिला कलक्टर द्वारा नीति अनुसार प्रस्ताव पर परीक्षण कर आवश्यक स्वीकृति जारी

की जावेगी। जयपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों के वृहद् निर्माण के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किये जावेंगे। विधि पूल या अन्य आवासों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभाग द्वारा विचार किया जावेगा।

4. उक्त बिन्दुओं की पालना करते हुए राजकीय आवासों में मरम्मत एवं संधारण के समस्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर पर सम्पादित कराये जावेंगे तथा आवश्यकतानुसार अपने बजट मद में वित्त विभाग से प्रावधान कराया जावेगा।

5. माननीय मंत्रीगणों/राजकीय फ्लेट्स के आवासियों द्वारा पानी की समस्या से निदान पाने के लिए ट्यूबवेल के निर्माण की बार–बार मांग की जाती है। राजकीय आवासों में पानी की सप्लाई जन स्वासथ्य अभियांत्रिकी/सा0 नि0 विभाग द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में राजकीय आवासों में ट्यूबवेल के निर्माण की स्वीकृति इस विभाग द्वारा नहीं दी जावेगी।

6. इस प्रकार उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थिति के अलावा तीन वित्तीय वर्षों में एक बार निम्नांकित राशि से अधिक स्वीकृति नहीं दी जावेगीः–

क्र. स.	आवास श्रेणी	स्वीकृति की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा
1	प्रथम श्रेणी के प्रत्येक आवास हेतु	4,00,000/–
2	द्वितीय श्रेणी के प्रत्येक आवास हेतु	2,00,000/–
3	तृतीय श्रेणी के समकक्ष प्रत्येक आवास हेतु	1,50,000/–
4	चतुर्थ से छठीं श्रेणी के समकक्ष प्रत्येक आवास हेतु	1,00,000/–

नोटः–1. तीन वर्षों के ब्लॉक में अधिकतम राशि तक के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे। जिस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी की गई है उसके आगामी दो वित्तीय वर्षों पश्चात् ही राशि स्वीकृत की जावेगी।**(प्रथम स्वीकृत जारी किये जाने वाले वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए अधिकतम राशि तक के कार्य के लिए तीन वित्तीय वर्षों को एक ब्लॉक माना जाऐगा)**

2. विशेष परिस्थितियों में अधिकतम सीमा से 50 प्रतिशत तक अधिक राशि, कारणों को अंकित करते हुए मुख्य सचिव, महोदय की अभिशंषा के उपरांत मंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसी स्वीकृतियां विभाग को आवंटित कुल प्रावधानों के अंतर्गत ही जारी की जा सकेगी तथा इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान की मांग नहीं की जा सकेगी।

3. उपरोक्त सीमा प्रथम या किसी अन्य श्रेणी के आवासों में माननीय मंत्रीगणों/जन प्रतिनिधियों/आयोगों के मनोनीत अध्यक्षों इत्यादि के आवास की स्थिति में भी लागू होगी।

4. प्रोर्टेटा चार्जेज एवं कंटेन्जेन्सी चार्जेज उपरोक्त निर्धारित स्वीकृत की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त देय होंगे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में इस राशि का पृथक से अंकन किया जावेगा।

7. इस विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के पेटे किये गये व्यय का ब्यौरा आवास वार मय विस्तृत विवरण तैयार कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तिमाही भिजवाया जावेगा।

8. उपरोक्त नीति में किसी भी प्रकार की शिथिलता दिये जाने के अधिकार मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के पास रहेंगे। प्रकरण की महत्ता तथा बजट की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

9. किसी भी राजकीय आवास में विघुत उपकरणों हेतु राशि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विद्युत उपकरणों **(यथा एसी/कुलर/गीजर/आर.ओ. मोटर पंप आदि)** के तकमीने अनुरक्षण/मरम्मत के कार्यों में सम्मिलित नहीं किये जावें।

10. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय आवासों में परिर्वतन/परिवर्द्धन के प्रस्ताव निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर प्रेषित किये जावें:–

(1) सा0नि0वि0 द्वारा सभी श्रेणी के राजकीय आवासों का सर्वे कर आवश्यक मरम्मत एवं संधारण के कार्यों का निर्धारण किया जावेगा। आवश्यक कार्यों के तकमीने के साथ आवासी का मूल प्रार्थना पत्र संलग्न करते हुए इस नीति में उल्लेखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जावेंगे।

(2) प्रत्येक कार्य का तकमीना आवश्यकता एवं औचित्य को स्पष्ट अंकित करते हुए मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र संख्या 1/2017 दिनांक 23.1.17 को ध्यान में रखते हुए एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी समस्त निर्देशों की पालना करते हुए **मुख्य अभियंता (भवन)के माध्यम से** प्रेषित किये जावेंगे।

(3) जिन कार्यों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की नीति अनुसार स्वीकारिता नहीं है उनके प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को ना भेजे जावें।

यह आदेश वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 101702868 दिनांक 18.07.2017 से प्राप्त सहमति उपरान्त जारी किया जाता है।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
6. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना हेतु समस्त अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्दिष्ट कराने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)